न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 56 / 2024 (GCMS NO-2024/203)

जयराम पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी सोनासर तहसील मलसीसर।

–आवेदक

बनाम

1. हरदयालाराम पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी सोनासर तहसील मलसीसर।
2. धर्मेन्द्र पुत्र सहदेव जाति जाट निवासी सोनासर तहसील मलसीसर।
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र सहदेव जाति जाट निवासी सोनासर तहसील मलसीसर।
4. हणमान पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी सोनासर तहसील मलसीसर।
5. राकेश दत्तक पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सोनासर तहसील मलसीसर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुझुनूं।

– अनावेदकगण

वकील आवेदक – राजकुमार गढ़वाल
वकील अनावेदकगण –

प्रार्थनापत्र बाबत पत्थरगढी 111, 128 भू–राजस्व अधि0 1956

<u>निर्णय</u>

दिनांक 04.06.2025

संक्षेप में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम सोनासर पटवारी हल्का सोनासर में भूमि हाल खाता संख्या 65 के ख0न0 395 रकबा 0.31 है0 भूमि आवेदक की खातेदारी काश्तकारी भूमि है। जिस पर काबिज काश्त है। आवेदक की भूमि की सीमा के पास पड़ौस में अनावेदक 1 ल0 5 की भूमि है। सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है जिससे मौके पर शांति भंग होने का अंदेशा रहता है। पड़ौसी खातेदार आये दिन आवेदक की खातेदारी काश्तकारी भूमि में दखलअंदाजी पैदा करते है। आवेदक सीधा साधा बुजर्ग व्यक्ति है तथा पड़ौसी खातेदार आये दिन सींव दबाते रहते है। इसलिए आवेदक उक्त भूमि को आवांरा पशुओं से फसल बचाने एवं अन्य भूमि सुधार कार्य हेतु तारबंदी करवाना चाहता है। उक्त वर्णित भूमि का पूर्व में तहसीलदार के आदेश क्रमांक 572 दिनांक 09.05.2024 की पालना में दिनांक 15.05.2024 को करवाया जा चुका है। भविष्य में कभी विवाद ना हो इसलिए पड़ौसी खातेदार को पक्षकार बनाया गया है। उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी करवाने के अधिकारी है। जिस कारण यह वाद श्रीमान के न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ल0 5 बाद तामील अनुपस्थित। अनावेदकगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदक संख्या 1 ल0 5 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाबदेही पूर्ण होने के उपरान्त बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी की भूमि की नपती दिनांक 15.05.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथा विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पूर्व में की गई नपती अनुसार पत्थरगड्डी करवाना चाहता है जो न्यायसंगत है। तमाम तथ्यों, दस्तावेजों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम सोनासर पटवार हल्का सोनासर स्थित भूमि खाता संख्या 65 के ख0न0 395 रकबा 0.31 है0 भूमि का प्रार्थी के आवेदन पर पूर्व में किये गये सीमाज्ञान दिनांक 15.05.2024 अनुसार पत्थरगड्डी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर